

न्यायालय तहसीलदार कठुमार (डालवार) राज.

8

कारवाज जरीये रिपोर्ट पटवारी हल्का अरुणा बनाव

गिरजा / अमरचन्द पिठो दौरेलाल जाख
रडेडलीरेला

प्रमाण अन्तगत पाठे बापलवार पुस्त

प्रमाण संख्या :- RA/83

निर्णय दिनांक :- 29/3/2019

प्रमाणित प्रस्तुत हुई। अकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि याम रडेडलीरेला
की आ.ख.नं. 160 कुल रकम 0.09 किलो जमीन गणभू में से 0.01
रकम पर श्री गिरजा अमरचन्द पिठो दौरे पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर
धुडालकी वाज्या कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का अरुणा द्वारा रिपोर्ट
27/8/18 को उसके विरुद्ध याचनी वाज्याही किसे जाने की रिपोर्ट मय तारीख
शु.अ.निरी. दरौदा के द्वारा प्रस्तुत किसे जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया
जाकर अतिक्रमी गिरजा अमरचन्द जाति जाख निवासी रडेडलीरेला को शु.
राजस्व अविनियम 056 की धारा 31 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील
बन्दाई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल प्रमाणित किया गया। अतिक्रमी

गिरजा अमरचन्द उपस्थित आया। जवाब नोटिस देना किया जो शामिल पत्रवली है।
उक्त रकम आ.ख.नं. 160 रकम 0.09 में से 0.01
रकम किलो गणभू के नियम के अंतर्गत है जिहाजा औरसायुष को अतिक्रमण
रकम से वेदखल किया जाने के आदेश दिनांक आग 11 मां चण्ड स्वरूप जमान 6paise का
50 गुणा 36 रकम पैन्टली आरोपित की जाती है मांवा काथमी हेतु जीआरए को लिखा
जावे, पैन्टली वसूली एवं वेदखली हेतु हल्का पटवारी अरुणा शु.अ.निरी.
दरौदा को लिखा जाकर याद तकमील दाखिल दफतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में
सुनाया गया।

डालवार
तहसीलदार
कठुमार (डालवार) राज.

अतिरिक्त :- क. ह.